भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4393
जिसका उत्तर मंगलवार 08 जनवरी, 2019 को दिया जाना है

विद्युत चालित वाहन

4393. श्री राकेश सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत चालित वाहनों के संबंध में कोई नीति तैयार की गई है;

(ख) क्या वर्तमान नीति वैश्विक मानकों के समकक्ष नहीं है;

(ग) क्या वर्तमान नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का देश में पर्यावरण हितैषी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का विचार है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ङ): वर्ष 2011-12 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (एनएमईएम) आरंभ किया। तत्पश्चात्, इस मिशन के तहत एक विजन दस्तावेज एनईएमएमपी 2020 (नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान) तैयार किया गया और वर्ष 2013 में आरंभ किया गया। एनईएमएमपी ने एक विजन दिया और इसमें वर्ष 2020 तक भारत में दक्ष और पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन (हाइब्रिड सहित) प्रौद्योगिकियों (एक्सईवी) का महत्वपूर्ण पैठ बनाने हेतु रोडमैप उपलब्ध कराना है।

वास्तव में, एनईएमएमपी 2020 विश्व में विकास की व्यापक जानकारी पर विचार करके और सरकार, उद्योग, शैक्षणिक जगत, अनुसंधान संघों से भी स्टेकहोल्डरों को शामिल करके व्यापक विचार-विमर्श और परामर्श के बाद एक विस्तृत अध्ययन पर आधारित था।

बाद में, इस मिशन के भाग के रूप में, सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक आरंभ में दो वर्षों के लिए वर्ष 2015 में फेम इंडिया योजना [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक

वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण] अधिसूचित की, जिसे आगे दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के चार फोकस क्षेत्र नामतः मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी विकास/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के खरीददारों को योजना के मांग सृजन फोकस क्षेत्र के तहत एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में एक निश्चित छूट दी जाती है। अब तक, योजना के तहत मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 2.60 लाख एक्सईवी की सहायता की गई है। इसके अलावा, नई जीएसटी प्रणाली के तहत, पारम्परिक वाहनों के लिए 22% तक के उपकर के साथ 28% जीएसटी की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को 12% जीएसटी दर (उपकर के बिना) के निचले ब्रैकेट में रखा गया है।

अब तक फेम इंडिया योजना का चरण-I सफल रहा है और योजना से प्राप्त सीख को प्रस्तावित योजना के दूसरे चरण में उपयोग किया है। भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) के चरण-II में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और बाजार सृजन तथा मांग एकीकरण के द्वारा ईवी के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। मसौदा योजना में चार्जिंग अवसंरचना, इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास उपलब्ध कराने तथा अधिक स्वेदशीकरण को बढ़ाने सहित ईवी उद्योग की होलिस्टिक वृद्धि की परिकल्पना है। योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

****